[2015] 2 एस.सी.आर. 372

मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2015 की दाण्डिक अपील संख्या 269)

10 फरवरी, 2015

[कुरियन जोसेफ और एन.वी. रमण, न्यायमूर्तिगण]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 25 यू के साथ पठित धारा 29 - श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत गठित वेतन समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन न करना - औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 यू के तहत अभियोजन - संधारणीयता - अभिनिर्धारित: वेतन समिति की सिफारिशें औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में न तो अधिनिर्णय हैं और न ही समझौता - यह श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है - यह न तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 ए के संदर्भ में मध्यस्थता अधिनिर्णय है और न ही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(बी) के संदर्भ में समझौता है - यह पक्षों के बीच कोई करार नहीं है - इसकी प्रवर्तनीयता, सिफारिश होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करती है - इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन संधारणीय नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अधिनिर्णय या समझौता या करार नहीं है जिसका उल्लंघन किया गया हो ताकि उन्हें अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके - श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 - धारा 3.

अपीलों को स्वीकार करते हुए और अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(बी) 'अधिनिर्णय' को परिभाषित करती है। प्रावधान दर्शाता है कि यह किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण होना चाहिए। यह धारा 10ए के तहत मध्यस्थता अधिनिर्णय भी हो सकता है। वेतन पर विवाद होने के कारण, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि संदर्भित मुद्दा एक औद्योगिक विवाद है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 13सी के साथ पठित धारा 9 के तहत गठित वेतन समिति ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। उनकी सिफारिश की धारा 1 का शीर्षक मनिसाना (वेतन समिति) अधिनिर्णय है। वेतन समिति के अनुसार भी, यद्यपि इसका शीर्षक अधिनिर्णय है, वे केवल सिफारिशें हैं। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में वे केवल ऐसा ही हो सकती हैं। इस प्रकार, कानूनी भाषा में, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 10 के तहत की गई वेतन समिति की सिफारिशें औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत अधिनिर्णय नहीं हैं। एक बार धारा 10 के तहत सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर, यह केंद्र सरकार का काम है कि वह श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में उन्हें लागू करने के लिए उचित आदेश जारी करे। यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17 का सहारा ले सकते हैं। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 11(1) वेतन समिति द्वारा अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में सिफारिशें करने की प्रक्रिया में न्यायाधिकरण की शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। यह प्रावधान वेतन समिति को

न्यायाधिकरण नहीं बनाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण सिफारिशें नहीं करता है, यह अधिनिर्णय पारित करता है; जबकि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत वेतन समिति केवल धारा 10 के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सक्षम है और केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों की अधिसूचना के बाद यदि अधिसूचना के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में कोई विवाद है, तो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत विवाद उठाया जाता है और उसके बाद श्रम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय पारित किया जाता है। [कंडिका 9, 10, 12 से 16, 21] [376-एच; 377-ए-बी,ई-जी; 378-एफ-जी; 380-बी-सी; 381- ई; 386- बी-डी]

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की दाण्डिक अपील संख्या 269

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2010 के निर्णय और आदेश से विविध दाण्डिक वाद संख्या 12876/2004 में।

के साथ

2015 की दाण्डिक अपील संख्या 270, 271 और 272

2012 की अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 171 और 172

पी.पी. राव, भास्कर पी. गुप्ता, के. दत्ता, आशीष वर्मा, राहुल मल्होत्रा, अभय कुमार, मनीष श्रीवास्तव, शाहिद अनवर, दीपक गोयल, अपीलकर्ता के लिए।

सिकुमार, दीपक गोयल, गोपाल सिंह, ऋतुराज चौधरी, रश्मि श्रीवास्तव, आर. गोपालकृष्णन, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति**

द्वारा दिया गया।

2015 की दाण्डिक अपील संख्या 269

(एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 10134/2010 से उद्भूत)

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. क्या अपीलकर्ता को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 'औद्योगिक विवाद अधिनियम') की पांचवीं अनुसूची के क्रम संख्या 13 के तहत और धारा 29 के साथ पठित धारा 25 यू के तहत अभियोजित किया जा सकता है, यह इस वाद में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला प्रश्न है। आरोप यह है कि मनिसाना वेतन समिति की सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं किया गया है, पत्रकारों के एक वर्ग के साथ द्वेषपूर्ण ढंग से भेदभाव किया गया है और इस प्रकार, अनुचित श्रम व्यवहार है।

3. उप श्रम आयुक्त, पटना ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के साथ पठित धारा 25 यू के तहत अपीलकर्ता के अभियोजन की मांग करते हुए ऊपर संदर्भित आरोपों के साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के समक्ष एक शिकायत दायर की।

4. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया कि शिकायत संधारणीय थी और इस प्रकार, वर्तमान अपील दायर की गई है।

5. श्री पी.पी. राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन संधारणीय नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अधिनिर्णय या समझौता या करार नहीं है जिसका उल्लंघन किया गया हो ताकि उन्हें अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, 'श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम') के तहत वेतन समिति ने केवल धारा 10 के अनुसार अपनी सिफारिशें दी हैं और धारा 12 के तहत, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। यदि धारा 12 के तहत अधिसूचित आदेशों को लागू नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता से देय धन की वसूली के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17 के तहत उपाय है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत, यदि अधिनियम के तहत देय राशि के संबंध में कोई विवाद है, तो यह राज्य सरकार का काम है कि वह प्रश्न को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले श्रम न्यायालय को संदर्भित करे और यह उस न्यायालय का काम है कि वह अधिनिर्णय पारित करे। यदि ऐसे अधिनिर्णय का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो केवल तभी धारा 25 यू के तहत अभियोजन का प्रश्न उठता है, भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम इस रूप में लागू हो।

6. राज्य और कर्मचारी संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को इस रूप में लागू किया गया है, वेतन समिति की सिफारिशें एक अधिनिर्णय हैं,

अधिनिर्णय को अक्षरशः और उसकी मूल भावना में लागू नहीं किया गया है, कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ भेदभाव किया गया है और इस प्रकार, अभियोजन संधारणीय है।

7. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:-

"3. 1947 का अधिनियम 14 का श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू होना।

-(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रावधान, जो उस समय लागू हों, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट संशोधन के अधीन रहते हुए, श्रमजीवी पत्रकारों पर या उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मकारों पर या उनके संबंध में लागू होते हैं।

8. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) धारा 25 एफ के आवेदन में संशोधन का प्रावधान करती है; जो वर्तमान वाद में प्रासंगिक नहीं है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान श्रमजीवी पत्रकारों पर इस तरह लागू किए गए हैं, जैसे कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्मकार हों। इस प्रकार, संदर्भ द्वारा विधान होने के नाते, जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का संबंध है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

9. अधिनिर्णय को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> "2 (बी) "अधिनिर्णय" का अर्थ है किसी भी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम या अंतिम निर्धारण और इसमें धारा 10ए के तहत दिया गया मध्यस्थता अधिनिर्णय शामिल है।"

10. प्रावधान यह दर्शाएगा कि यह किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण होना चाहिए। यह धारा 10ए के तहत मध्यस्थता अधिनिर्णय भी हो सकता है।

11. औद्योगिक विवाद को धारा 2(के) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> "2(के) "औद्योगिक विवाद" का अर्थ है नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, या नियोक्ताओं और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की स्थितियों से जुड़ा हो;"

12. वेतन पर विवाद होने के कारण, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि संदर्भित मुद्दा एक औद्योगिक विवाद है।

13. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 13 सी के साथ पठित धारा 9 के तहत गठित वेतन समिति ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। उनकी सिफारिश की धारा 1 का शीर्षक मनिसाना (वेतन समिति) अधिनिर्णय है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जब केंद्र सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में 5.12.2010 (अनुलग्नक पी1) को अधिसूचना जारी की, तो सिफारिशों को भाग तीन के तहत शामिल किया गया था। जहां तक प्रासंगिक है, हम भाग तीन को उद्धृत करेंगे, जो इस प्रकार है:-

"भाग तीन

अध्याय 1

श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों (समाचार एजेंसी में समाचार पत्र कर्मचारियों के अलावा) के लिए वेतन समिति की सिफारिश

धारा 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन सिफारिशों को मनिसाना (वेतन समिति) अधिनिर्णय कहा जा सकता है।

(2) अधिनिर्णय को श्रेणी III और उससे ऊपर के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में अप्रैल, 1998 के पहले दिन से और श्रेणी IV और V के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के

संबंध में जून, 1999 के पहले दिन से और श्रेणी VI से IX के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में अप्रैल, 2000 के पहले दिन से लागू माना जाएगा।"

14. यह देखा जा सकता है कि वेतन समिति के अनुसार भी, यद्यपि इसका शीर्षक अधिनिर्णय है, वे केवल सिफारिशें हैं। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में वे केवल ऐसा ही हो सकती हैं, जो इस प्रकार है:-

"10. समिति द्वारा सिफारिश.- (1) समिति, ऐसे तरीके से अधिसूचना प्रकाशित द्वारा जैसा वह उचित समझे, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों और श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों से, जो श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन की दरों के निर्धारण या संशोधन में रुचि रखते हैं, ऐसे अभ्यावेदन करने का आह्वान करेगा जैसा वे श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में इस अधिनियम के तहत तय या संशोधित किए जा सकने वाले वेतन की दरों के संबंध में उचित समझें।

(2) ऐसा प्रत्येक अभ्यावेदन लिखित रूप में होगा और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो समिति अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और उसमें वेतन की उन दरों का उल्लेख होगा जो अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति की राय में, नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता या किसी अन्य परिस्थिति, जो भी अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को उसके अभ्यावेदन के संबंध में प्रासंगिक लगे, को ध्यान में रखते हुए उचित होंगी।

(3) समिति पूर्वोक्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखेगा और अपने समक्ष रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में वेतन की दरों के निर्धारण या संशोधन के लिए केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा जैसा वह उचित समझे; और ऐसी किसी भी सिफारिश में, चाहे भविष्यलक्षी हो या पूर्वव्यापी, वह तारीख निर्दिष्ट की जा सकती है जिससे वेतन की दरें प्रभावी होंगी।

(4) केंद्र सरकार को कोई भी सिफारिश करते समय, समिति जीवन निर्वाह लागत, समात प्रकृति के नियोजन के लिए वेतन की प्रचलित दरों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में समाचार पत्र उद्योग से संबंधित परिस्थितियों और किसी भी अन्य परिस्थिति को ध्यान में रखेगा जो समिति को प्रासंगिक प्रतीत हो सकती है।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में कुछ भी समिति को अखिल भारतीय आधार पर वेतन की दरों के निर्धारण या संशोधन के लिए सिफारिशें करने से नहीं रोकेगा।"

15. इस प्रकार, कानूनी भाषा में, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 10 के तहत की गई वेतन समिति की सिफारिशें औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत अधिनिर्णय नहीं हैं। एक बार धारा 10 के तहत सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर, यह केंद्र सरकार का काम है कि वह श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में उन्हें लागू करने के लिए उचित आदेश जारी करे, जो इस प्रकार है:-

"12. वेतन समिति की सिफारिशों को लागू करने की केंद्र सरकार की शक्तियां.- (1) समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार सिफारिशों के संदर्भ में या ऐसे संशोधनों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगी, जो ऐसे संशोधन हों, जो केंद्र सरकार की राय में, सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, -

(ए) सिफारिशों में ऐसे संशोधन कर सकती है, जो उप-धारा (1) में संदर्भित प्रकृति के संशोधन न हों, जैसा वह उचित समझे:

बशर्ते कि ऐसे कोई भी संशोधन करने से पहले, केंद्र सरकार उन सभी व्यक्तियों को, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सूचना दिलवाएगी और उन किन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो वे इस निमित लिखित रूप में प्रस्तुत करें; या

(बी) सिफारिशों या उसके किसी हिस्से को समिति को वापस भेज सकती है, जिस वाद में, केंद्र सरकार उसकी आगे की सिफारिशों पर विचार करेगी और या तो सिफारिशों के संदर्भ में या उप-धारा (1) में संदर्भित प्रकृति के ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगी।

(3) केंद्र सरकार द्वारा इस धारा के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक आदेश आधिकारिक राजपत्र में बोर्ड की सिफारिशों सहित प्रकाशित किया जाएगा और आदेश प्रकाशन की तिथि से या ऐसी तिथि से, चाहे भावी रूप से या पूर्वव्यापी रूप से, जो आदेश में निर्दिष्ट की गई हो, लागू होगा।"

16. यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17 का सहारा ले सकते हैं, जो इस प्रकार है:-

"17. नियोक्ता से देय धन की वसूली.-

(1) जहां इस अधिनियम के तहत एक नियोक्ता से एक समाचार पत्र कर्मचारी को कोई राशि देय है, वहां समाचार पत्र कर्मचारी स्वयं, या इस संबंध में उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई व्यक्ति, या कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे देय राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है, और यदि राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे, इस बात से संतुष्ट है कि कोई राशि इस प्रकार देय है, तो वह समाहर्ता को उस राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, और समाहर्ता उस राशि को उसी तरह वसूलने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि वह भू-राजस्व का बकाया।

(2) यदि अपने नियोक्ता से समाचार पत्र कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत देय राशि के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो राज्य सरकार, स्वतः संज्ञान पर या उसे किए गए आवेदन पर, प्रश्न को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)

के तहत उसके द्वारा गठित किसी भी श्रम न्यायालय को, या राज्य में लागू औद्योगिक विवादों की जांच और समझौते से संबंधित किसी भी अनुरूप विधि के तहत संदर्भित कर सकती है और उक्त अधिनियम या कानून श्रम न्यायालय के संबंध में इस तरह प्रभावी होंगे जैसे कि संदर्भित प्रश्न उस अधिनियम या विधि के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय को भेजा गया कोई संदर्भित मामला हो।

(3) श्रम न्यायालय का निर्णय उसके द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा जिसने संदर्भ दिया था और श्रम न्यायालय द्वारा देय पाई गई कोई भी राशि उप-धारा (1) में प्रदान किए गए तरीके से वसूल की जा सकती है।"

17. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 18 के तहत दंड का भी प्रावधान है, जो इस प्रकार है:-

"18. दंड.- (1) यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

(1ए) जो कोई भी, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, उसी प्रावधान के उल्लंघन से जुड़े अपराध के लिए फिर से दोषी ठहराया जाता है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(1बी) जहां किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था, और उसके प्रति जिम्मेदार था, साथ ही साथ कंपनी, अपराध का दोषी मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस धारा में प्रदान किए गए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(1सी) उप-धारा (1बी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इस धारा के तहत किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या अपराध का किया जाना उनकी ओर से किसी घोर लापरवाही के कारण है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी ऐसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

(1डी) इस धारा के प्रयोजनों के लिए. -

(ए) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(बी) फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है फर्म में भागीदार।

(2) प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से अवर कोई भी न्यायालय इस धारा के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) कोई भी न्यायालय इस धारा के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि उसकी शिकायत उस तारीख के छह महीने के भीतर नहीं की जाती है जिस तारीख को अपराध का किया जाना कथित है।"

18. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की योजना और श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 द्वारा शामिल किए गए औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अनुचित श्रम व्यवहार के लिए अभियोजन केवल धारा 25 यू के तहत संधारणीय है। धारा 25 यू अनुचित श्रम व्यवहार करने के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 29 समझौता या अधिनिर्णय के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(आर ए) अनुचित श्रम व्यवहार को परिभाषित करती है। समझौता को धारा 2(पी) के तहत सुलह कार्यवाही के दौरान किए गए समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें सुलह कार्यवाही के दौरान के अलावा नियोक्ता और कर्मकारों के बीच लिखित करार शामिल है। इस प्रकार, वेतन समिति की सिफारिशें औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में न तो अधिनिर्णय हैं और न ही समझौता। यह श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण या

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10ए के संदर्भ में मध्यस्थता अधिनिर्णय नहीं है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(बी) के संदर्भ में समझौता नहीं है। यह पक्षों के बीच कोई करार नहीं है। इसकी प्रवर्तनीयता, सिफारिश होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने अनुलग्नक पी1 अधिसूचना जारी करके वह आदेश पारित किया है। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, तो उपाय वसूली के लिए धारा 17 के तहत या दंड के लिए धारा 18 के तहत निहित हैं, न कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत।

19. सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी संघ ने धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में देय राशि के संबंध में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत उपाय का सहारा लिया है और यह मामला श्रम न्यायालय, पटना (वाद संदर्भ संख्या 7/2013) के समक्ष लंबित है। यदि श्रम न्यायालय उचित अधिनिर्णय पारित करता है और यदि उसे लागू नहीं किया जाता है, तभी औद्योगिक विवाद अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के क्रम संख्या 13 "अधिनिर्णय, समझौता या करार को लागू करने में असफलता" के साथ पठित धारा 25यू के तहत अभियोजन का प्रश्न उठता है।

20. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में, वेतन समिति प्रासंगिक सीमा तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। धारा 11(1) इस प्रकार है:-

"11. समिति की शक्तियां और प्रक्रिया.- (1) उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों के अधीन, समिति उन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के तहत गठित एक औद्योगिक न्यायाधिकरण, उसे संदर्भित किसी औद्योगिक विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रयोग करता है और, इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, में निहित प्रावधानों के अधीन अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।"

21. प्रावधान को केवल पढ़ने से यह पता चलेगा कि यह अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में सिफारिशें करने की प्रक्रिया में वेतन समिति द्वारा न्यायाधिकरण की शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करता है। प्रावधान वेतन समिति को न्यायाधिकरण नहीं बनाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण सिफारिशें नहीं करता है, यह अधिनिर्णय पारित करता है; जबकि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत वेतन समिति केवल धारा 10 के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सक्षम है और केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों की अधिसूचना के बाद यदि अधिसूचना के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में कोई विवाद है, तो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत विवाद उठाया जाता है और उसके बाद श्रम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

22. अतः अपील स्वीकार की जाती है, आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और संज्ञान लेने वाले दण्डाधिकारी द्वारा पारित शिकायत और आदेश को अभिखंडित किया जाता है।

23. पटना स्थित श्रम न्यायालय को भी निर्देश दिया जाएगा कि वह अपने समक्ष लंबित वाद संख्या 7/2013 का शीघ्रता से निस्तार करे।

24. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश कर्मचारी संघ को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत उन्हें उपलब्ध अन्य उपायों, यदि कोई हो, का सहारा लेने में आड़े नहीं आएगा।

2015 की दाण्डिक अपील संख्या 270

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 1884/2011 से उद्भूत)

2015 की दाण्डिक अपील संख्या 271

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 1956/2011 से उद्भूत),

2015 की दाण्डिक अपील संख्या 272

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 1957/2011 से उद्भूत,

25. अनुमति प्रदान की गई।

26. विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 10134/2010 से उद्भूत दाण्डिक अपील संख्या 269/2015 में पारित दिनांक 10.02.2015 के निर्णय के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश

अपास्त किए जाते हैं और संज्ञान लेने वाले दण्डाधिकारी द्वारा पारित शिकायत और आदेश को अभिखंडित किया जाता है और अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 1957/2011 में अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 171/2012

विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 1884/2011 में अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 172/2012

27. विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 10134/2010 से उद्भूत दाण्डिक अपील संख्या 269/2015 में पारित दिनांक 10.02.2015 के निर्णय के मद्देनजर, इन अवमानना याचिकाओं में कुछ भी शेष नहीं है, जिन्हें तदनुसार, खारिज किया जाता है।

देविका गुजराल अपीलें स्वीकार की गईं और

अवमानना याचिका खारिज की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।